

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(22)नविवि / सुल्तानपुर / 2022

जयपुर, दिनांक: 03/06/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को सुल्तानपुर, जिला-कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

| क्र. सं. | राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में | राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. | सुल्तानपुर | SULTANPUR |
| 2. | झोटेली | JHOTELI |
| 3. | तोरण | TORAN |
| 4. | नोताडा | NOTARA |
| 5. | खण्डगांव | KHANDGAON |
| 6. | नापाहेडा | NAPAHERA |
| 7. | जालिमपुरा | JALIMPURA |
| 8. | बगतरी | BAGTARI |
| 9. | गोकुलपुरा | GOKULPURA |
| 10. | अमरपुरा | AMARPURA |
| 11. | नयागांव रामपुरिया | NAYAGAON RAMPURIYA |
| 12. | शाहपुरा | SHAHPURA |

राज्यपाल की आझ्ञा से

3/6/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- जिला कलक्टर, कोटा।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- उप नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुल्तानपुर, जिला कोटा।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रालंबी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय